न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 56 / 2005

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 मोहरी देवी पुत्री मांगूराम।
2 भंवरलाल पुत्र मोहरी समस्त जाति रैगर निवासीगण डांसरोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 हनुमान पुत्र मांगूराम (मृतक)।
3/1 श्रीमती कोयली पुत्री हनुमान प्रसाद।
3/2 श्रीमती सुगना पुत्री हनुमान प्रसाद।
3/3 बंशीलाल पुत्र हनुमान प्रसाद।
3/4 श्रीमती तीजा पुत्री हनुमान प्रसाद।
4 गंगाराम पुत्र मांगूराम समस्त जाति रैगर निवासीगण ग्राम डांसरोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रूकमा बेवा बोदू।
2 गणपत लाल पुत्र बोदू।
3 मदनलाल पुत्र बोदू।
4 पूर्णमल पुत्र बोदू।
5 सुरजा पुत्र बोदू।
6 झुथाराम पुत्र मोतीराम समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम डांसरोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2005
एस.डी.ओ. महोदय, दांतारामगढ़ दावा नम्बर 306/02
अनुवानी रूकमा आदि बनाम मोहरी आदि

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—22/1/19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 306/2002 में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2005 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट ने प्रतिवादी अपीलांटस के विरूद्व विचारण न्यायालय में दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते भूमि खसरा नम्बर 453,457,458,460,461,462,1152,1153,1156,1157,1161,1162, 1163,1164,1165 वाके ग्राम डासंरोली प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया। इससे व्यथित होकर अपीलांट की और से अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि से रेस्पोडेंट का कोई सरोकार नही है खसरा नम्बर 1162 का अपीलांट को 05.08.1986 को पट्टा मिला था रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कभी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

भी कब्जा नही रहा है। ग्राम डांसरोली में खसरा नम्बर 297 में से 5 बिघा भूमि ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु दी गई थी इसमें से 150 वर्गगज भूमि का पट्टा अपीलांट को दिया गया था पट्टे की भूमि होने के कारण राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नही है। सिविल कोर्ट के मौका कमीशनर रिपोर्ट में मोहरी देवी का खसरा नम्बर 1162 में 40 वर्षो से कब्जा अंकित है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 1162 बारानी कृषि भूमि है मुताबिक राजस्व रिकार्ड अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नही है। ग्राम पंचायत को पट्टा देने का कोई अधिकार नही है ऐसा पट्टा नल एण्ड वोइड है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट की और से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था विचारण न्यायालय में तहसीलदार दांतारामगढ़ की मौका रिपोर्ट संलग्न है। जिसके अनुसार वर्तमान में सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1162 पर खातेदार काबिज काश्त है, 1162 गत खसरा नम्बर 297/2 से बना है जबकि ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु भूमि 297/1/1 नये खसरा नम्बर 463 से 475 में दी गई थी। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि से अपीलांट का कोई सरोकार होना साबित नही है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य का भलीभांति विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि सम्मत पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22-11-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर